राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4185/2022

श्रीमती विमला मांझु —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमती स्मीता सैनी, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी संख्या –3 की ओर से : श्री अश्विनी कुमार जैमन, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेंदवास, जयपुर में 60 कि.मी. दूर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेंदवास, जयपुर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर किया। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिया गया है। अपीलार्थी ने कभी भी लिखित व मौखिक रूप से स्थानान्तरण करने की प्रार्थना नहीं की थी। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है इससे स्पष्ट होता है कि उनका स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। अपीलार्थी कमर दर्द (cervical spinal cord) की बीमारी से वर्ष 2021 से पीडित है जिसका ईलाज नारायणा मल्टीस्पेशियलीटी हॉस्पिटल में चल रहा है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन समस्त प्रामाणिक लाभ दिये जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मेंदवास, जयपुर से दिनांक 20.08.2022 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 22.08.2022 (अनुलग्नक–आर3/1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। अपीलार्थी के पति डॉ. कमल कुमार कस्वा जाने–माने किडनी के डॉक्टर हैं जो नारायणा हॉस्पिटल में ही कार्यरत हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा बीमारी के संबंध में जो कागजात प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी सत्यता संदेह के घेरे में हैं। क्योंकि अपीलार्थिया ने इस तथ्य को छुपाया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की 78 वर्षीय सास का हिपरिप्लेसमेंट मेट्रोमास हॉस्पिटल जयपुर में वर्ष 2019 में हुआ है जिससे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी संख्या–3 की है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसी जिले में किया गया है, जिसमें वह स्थानान्तरण से पूर्व पदस्थापित थी। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने एसबी.सिविल याचिका संख्या 18063/2019 श्री राजकुमार जांगिड़ बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा व अन्य में पारित आदेश द्वारा एक ही जिले में किए गए स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध दायर अपील को खारिज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.07.2022 (अनुलग्नक–आर/1) में सर्वाइकल बीमारी के लिए कोई निर्देश नहीं है। इस अधार पर अपीलार्थी माननीय अधिकरण से प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है राज्य सरकार प्रशासन को चुस्त एवं दुरूस्त बनो हेतु समय समय पर प्रशासनिक कारणों से अपने कार्मिक की सेवाएं कही पर लेने हेतु स्वतंत्र है। प्रत्येक लोकसेवक का प्रथम दायित्व है कि वह अपनी राजकीय सेवाएं उत्कृष्ट रूप से दे। इस प्रकार कर्मचारी/अधिकारी के पदस्थापन पर पूर्ण रूप से नियोजक का क्षेत्राधिकारी है, वह अपने लोकसेवक का कहा तथा किस समय स्थानान्तरण करता है। सक्षम अधिकारी अपीलार्थी का नियोजक है और प्रशासनिक कारणों से किया गया पदस्थापन उनके क्षेत्राधिकार में है। आलोच्य आदेश प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार पारित किया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर वर्ष 2014 से कार्यरत है तथा स्थानान्तरण भी जिले के भीतर ही सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के किया गया है परन्तु अपीलार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह cervical spinal cord से संबंधित बीमारी से ग्रस्त है तथा बिना सहयोगी के इधर उधर आने–जाने चलने फिरने में भी कठिनाई/परेशानी की स्थिति का सामना कर रही है तथा इस संबंध में उनका इलाज भी चल रहा है। अतः प्रकरण की उक्त वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी तीन सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य